न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 114/2020

गुड्डी देवी पत्नी श्री अमीचंद जाति ब्राहम्ण निवासी 6 बीएचएम जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानमदं राजस्थान ।

प्रार्थीया

बनाम

परतुराम उर्फ कालूराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी 6 बीएचएम जाखडावाली कुमाराम पुत्र जगमालराम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम (2)सीपीसी ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मदन लाल पारीक —— प्रार्थीया
2. श्री राम स्वरूप तावणिंया —— अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 28-04-25

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक की ओर से अप्रार्थीगणके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय के आदेश की अवहेलना में अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क करने एंव सिविल कारावास दण्डित करने हेतुप्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से निम्न प्रकार से है—

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र एंव स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में लम्बित है जिसमें आज की तारीख पैशी सुनिश्चत है।

यह कि प्रार्थीया ने श्रीमान न्यायालय में उक्त अनवान का वाद पत्र सं. 273/2016 अनवान गुड्डी देवी बनाम परतुराम आदि के अन्तर्गत धारा 183,188 रा.का.अधि. के तहत पेश किया था। उसी दिन दिनांक 21.12.2016 को स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. प्रकरण स1142/2020 प्रस्तुत किया था।

यह कि प्रार्थीया ने इस दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र में यह तथ्य वर्णित किया कि प्रार्थीया के नाम चक 6 बीएचएम के प.न. 100/378 किला न. 13/.228, 16/.135, 171.226, 18/.253, 19/.253, 21/.228, 221.075 व प.न. 100/379 किला न. 1—2/.506, 3/.176 कुल 2.080 हैक. अ.क. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। यह भूमि प्रार्थीया ने इस भूमि के मूल खातेदार बनवारी — हनुमान कृष्ण पिसरान सुरजाराम व गुड्डी देवी पुत्री सुरजाराम से जरिये बैयनामा दिनांक 30.03.2005 को खरीद कर उसी दिन इस 2.080 हैक. भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था जो लगातार शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थीया की इस भूमि के प.न. 100/378 किला न. 16, 17 के उत्तर दिशा में सडक है। जिससे प्रार्थीया अपनी भूमि में आना जाना करती है इस भूमि के चिपते ही प.न. 100/378 किला न. [illegible] अप्रार्थी स. 1 व 2 की कृषि भूमि है जिस पर इन्होने मकान बना रखे है अप्रार्थीगण [illegible] एंव झगडालू प्रर्वती के व्यक्ति है। ये आये दिन प्रार्थीया के कब्जा [illegible] आमाद रहते है। आज से 10 दिन पूर्व उन्होने प्रार्थीया की इस खातेदारी [illegible] प.न. 100/378 किला न. 17 की .226 हैक. भूमि पर चार दीवारी निकाल ली व कल दिनांक 20.12. 2016 को वे इस भूमि पर बाथरूम का निर्माण कर रहे है। प्रार्थीया व प्रार्थीया [illegible]पति द्वारा रोकने के बावजूद भी इन्होने निर्माण बंद नही किया है। अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि सड़क के आस पास जो किला न. 16, 17 है उस भूमि पर जबरन कब्जा करेंगें एंव अप्रार्थीगण बिना किसी आधार के अवैध रूप से प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पर निर्माण कर गैर कृषि कार्य हेतु प्रयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रार्थीया की इस भूमि पर नाजायज काबिज होकर इसका दुरूपयोग कर रहे है और इस भूमि की उपजाउ किस्म को नष्ट कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है। इसलिए किला न. 17 की भूमि को कुर्क कर तहसीलदार पीलीबंगा को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की चक 6 बीएचएम के प.न. 100/378 किला न. 16/.135, 17/.226 हैक. भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नही करे एंव प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही करे।

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2016 को वकिल प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुन ली। बहस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो व शपथ पत्र के आधार प्रथम दृष्टा मामला प्रार्थीया के पक्ष में मानते हुये स्थगन आदेश जारी किया कि पक्षकारान चक 6 बीएचएम के प.न. 100/378 किला न. 16/.135, 171.226 हैक. भूमि के मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । अप्रार्थीगण की तलवी हेतु दिनांक 23.01.2017 की पैशी नियुक्ति की गई । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता दिनाक 23.01.2017 को उपस्थित हुये तथा दिनांक 07.12.2017 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया पत्रावली वास्ते बहस लम्बित रही है। जिसमें आज की तारीख पैशी २५-11-20 निश्चित है।

यह कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीया की एकल खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। परन्तु अप्रार्थीगण जो प्रभावशाली एंव बदमाश प्रवर्ति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीया औरत जात है इसलिए अप्रार्थीगण बिना अधि कार जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर दखल अंदाजी करते आ रहे है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.12.2016 की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी एंव वे न्यायालय में उपस्थित भी हो चुके है। न्यायालय के आदेश कि इन दोनो ने समय-समय पर लगातार जान बुझ कर अवहेलना करते रहे है। प्रार्थीया की किला न. 16, 17 की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण दखल अंदाजी करते आर रहे है इस बाबत प्रार्थीया ने कई बार पुलिस थाना पीलीबंगा व पुलिस चौकी जाखडावाली में सूचना की थी उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है अप्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय के स्थगन आदेश की परवाह न करते हुये दिनांक 24. 10.2020 को वार शनिवार रात्री में इन्होने किला न. 16 में तिलो के बण्डल व सुखी लकडी डालकर नाजायज कब्जा कर लिया है। जिसकी भी प्रार्थीया ने पुलिस चौकी जाखडावाली में सूचना दी थी परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई इसलिए प्रार्थीया ने दिनांक 27.10.2020 को श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान जी द्वारा दिनांक 27.10.2020 को थाना प्रभारी पीलीबंगा को आदेश दिया गया था। चित्रप्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण पाबंद थे और उनको पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद ही उन्होने न्यायालय के आदेश की प्रवाह न करते हुये समय समय पर स्पष्ट तौर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। इसलिए अप्रार्थीगण की सम्पति कुर्क की जावे एंव इनको सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय की स्थगन आदेश की अवहेलना में अप्रार्थीगण की चक 6 बीएचएम के प.न. 100/378 किला न. 24, 25 की सम्पति को कुर्क की जावे एवं इनको सिविल कारावास से दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामस्वरूप ता[illegible] अधिवक्ता हाजिर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 निम्न प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र की मद स. 1 स्वीकार है।यह कि प्रार्थना की मद स. 2 स्वीकार है।यह कि प्रार्थना की मद स. 3 आशिंक रूप से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विशेष किला से भूमि खरीद होना स्वीकार नही है। सयुक्त खाता में से 2.080 हैक. में भूमि प्रार्थीया ने दिनांक 30.0[illegible]05 को खरीद की थी। उस समय अप्रार्थी स. 1 ने भी जरिये ईकरारनामा बनवारी, हनुमान, कृष्णलाल, गुडडी पत्नी सुरजाराम से किला न. 24 व 25 की भूमि खरीद की थी और अप्रार्थी ने बैयनामा अपने पक्ष में निष्पादन करवा लिया था। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त बैयनामा का नामान्तरण जमाबन्दी की प्रति में फर्जी अकंन कर फोटोप्रति अप्रार्थी को दे दी जिसका ज्ञान, अप्रार्थी को दिनांक 21.12.2016 को प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दावे में हाजिर होने के कारण पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चला की मूल जमाबन्दी में अप्रार्थी स. 1 का नाम दर्ज नही है। प्रार्थीया द्वारा एक प्रकरण स. 176/2013 पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया जबकि दावाधीन भूमि में तत्तकालीन समय प्रार्थी मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रकरण स. 176/2013 निर्णय दिनांक 09.05.2016 को प्रार्थीया ने एकतरफा डिक्री करवा ली उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण स. 82/2021 अनवान मोहनलाल बनाम गुडडी देवी विचाराधिन है। अप्रार्थी के पक्ष में किला न. 17का इकरारनामा है। प्रार्थीया खुद स्वीकार कर रही है कि किला न. 24 व 25 में अप्रार्थी की कृषि भूमि है उसमें मकान बना रखे है व दावा दायेरी से पूर्व ही प्रार्थीया स्वीकार कर रही है कि किलान. 16, 17 में अप्रार्थीगण की चारदिवारी है व बाथरूम का निर्माण किया हुआ है। जो कि श्रीमान न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा से पूर्व में ही निर्मीत है।

यह कि प्रार्थना की मद स. 4 स्वीकार है।यह कि प्रार्थना की मद स. 5 अस्वीकार है। क्योकि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सयुक्त रूप खातेदार थे प्रार्थीया ने पूर्व में एक दावा प्रकरण स. 176/13 अनवान गुडडी बनाम बिरमा पेश कर दिनांक 09.05.2016 को पेश कर समस्त पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय डिक्री करवा ली जबकि प्रार्थीया को पूर्ण ज्ञान था कि किला न. 24 व 25 में अप्रार्थीगण का मकान है। खाता सयुक्त है। प्रार्थीया ने पक्की सड़क के चिपके-चिपके विभाजन किलो में अपने नाम करवा लिये। उक्त एकपक्षीय डिक्री की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष मोहनलाल बनाम गुडडी देवी आदि विचाराधिन है। प्रार्थीया के पक्ष में जारी डिक्री दिनांक 09.05.2016 बअनवान गुडडी देवी बनाम बिरमा प्रकरण स. 176/2013 में अन्तिमता प्राप्त नही हुई है। प्रार्थीया ने कथन किया है कि किला न. 16 में तिलो के बण्डल व सुखी लकडी डालकर दिनांक 10.02.2020 को कब्जा कर लिया जबकि प्रार्थीया ने अपने दावा में दावा दायरी के पूर्व ही किला न. 16 में दीवार व बाथरूम होना स्वीकार किया है। अप्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश के बाद कोई नया निर्माण नही किया ना ही कोई लकडी व तीलो के बन्डल डालेहै।

यह प्रार्थना पत्र की मद स. 6 पूर्णतया अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नही की ना ही कोई लकडी व तिलो के बण्डल डाले है दावा दायरी से पूर्वही प्रार्थीया के अनुसार बाथुरूम व चारदिवारी का निर्माण किया हुआ था।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मयहर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रथम दृश्टया मामला यह स्थापित करना था कि उसके पक्ष में वास्तविक एवं विचारणीय एक गंभीर प्रश्न अप्रार्थी के विरूद्ध साबित करना था जिसमें प्रार्थीया असफल रही है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में स्थगनादेश के बाद कोई स्थाई निर्माण/कब्जा साबित नहीं होता है। प्रश्नगत रकबा के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 212 आरटीए बाबत रिसीवर/स्थाई व्ययादेश भी खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:17 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)